

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2012-13/ 1-140

दिनांक 09/04/12

परिपत्र

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट आवंटन (आयोजना भिन्न) हेतु ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा माह अप्रैल से जून 2012 के लिए लेखा अनुदान की मांगों को पारित कर दिया गया है अतः आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत संचालित विभिन्न लेखा मदों में बजट आवंटन संवेतन मद एवं कार्यालय मद में 3 माह के व्यय के लिये संलग्न प्रपत्रानुसार किया जाता है। अन्य मदों में बजट आवंटन पूर्ण बजट पारित होने के बाद शीघ्र ही किया जाएगा। आवंटित राशि का उपयोग/व्यय करते समय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, बजट नियमावली के नियमों, यात्रा, चिकित्सा एवं मकान किराया भत्ता नियमों के साथ-साथ निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. विभिन्न लेखा मदों/उपमदों में व्यय आवंटित राशि की सीमा तक ही किया जावे। IFMS पर उपलब्ध व्यय का मिलान समय-समय पर किया जावे यदि कोई अन्तर प्रकट होता है तो उसे तुरन्त दुरस्त कराया जायें।
2. राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के तहत नियुक्त व्याख्याताओं को नियमित भुगतान संवेतन मद से किया जावे। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(175)स्था/निकाशि/2012/175 दिनांक 19.03.2012 के अन्तर्गत प्रदान किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार माह अप्रैल 2012 का वेतन भुगतान दिनांक 15.04.2012 तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे यदि भुगतान समय पर नहीं होता है तो इसे निदेशालय द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा। एरियर राशि के भुगतान हेतु संलग्न प्रपत्र में अलग से सूचना भेजने पर बजट आवंटन किया जायेगा। मांग राशि में यूजी.सी. एरियर की 40% राशि को सम्मिलित नहीं किया जावे।
3. कोषागारों को प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर बजट शीर्षक, उपशीर्षक, लघुशीर्षक एवं विस्तृत शीर्षक वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियमों के अनुसार तैयार किये जावे।
4. प्रत्येक माह का आय-व्यय विवरण पत्र लेखा शीर्षानुसार (आयोजना एवं आयोजना भिन्न का पृथक-पृथक) आगामी माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के नाम भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। मासिक आय-व्यय विवरण पत्र विलम्ब से प्रेषित किये जाने की स्थिति में अंक मिलान एवं व्यय नियंत्रण कार्य में हुई देरी के लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराया जावेगा।
5. यात्रा एवं चिकित्सा मद में आवंटित राशि का उपयोग महाविद्यालय/कार्यालय में अवशेष बकाया दावों का उनकी प्राप्ति दिनांक से प्राथमिकता क्रम में भुगतान करने हेतु किया जावे। प्राप्ति तिथि से प्राथमिकता क्रम के निर्धारण हेतु महाविद्यालय/कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण किया जावे/दावों के प्राप्ति प्राथमिकता क्रम में भंग किये जाने से दावों के कालातीत होने की सम्भावना होगी जिसके लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. चिकित्सा एवं यात्रा मद में 30 सितम्बर 11 तक के बकाया दावों का भुगतान करने के पश्चात् ही आगे के दावों का भुगतान किया जावे।
8. यात्रा व्यय में आवंटित राशि का उपयोग पूर्ण मितव्ययता से किया जावे। अनावश्यक यात्राओं को प्रतिबन्धित किया जावे। निदेशालय से जारी किये गये समस्त परिपत्र/ आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध होते हैं अतः इन्टरनेट पर विभागीय वेबसाईट को दिन में दो बार आवश्यक रूप से देखे परिपत्र/ आदेश में मांगी गई सूचनाओं का संप्रेषण एवं राजकीय कार्यों के निपटारे हेतु दस्तावेजों को निदेशालय भेजने हेतु प्रतिदिन डाक-तार, फ़ैक्स (2703897) एवं दूरभाष सुविधाओं का उपयोग किया जावे। प्रायः यह देखने में आया है कि पत्र पर सूचनाएं देने या किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्य हेतु यात्राएं की जाती हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। यात्रा बिलों में यात्रा का पूर्ण औचित्य अंकित कराया जावे।
9. चिकित्सा दावों के भुगतान से पूर्व उनकी चिकित्सा परिचर्या नियम के अनुसार गहन जांच की जावे, ताकि मिथ्या दावों के भुगतान से बचा जा सके। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी बीमारी विशेष के

- लिए बार-बार दावे प्रस्तुत किये जाते हैं। तो उन दावे की विशेष जांच करवाई जाये तथा उक्त कर्मचारी/अधिकारी को रोगी को अच्छे चिकित्सालय में इलाज बाबत कहा जावे।
10. राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बावजूद यदि किसी महाविद्यालय में प्रतिबन्ध अवधि में प्रतिबन्धित क्रय या व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय के भुगतान की मुख्यालय से न तो स्वीकृति दी जावेगी और न ही इस हेतु राशि का आवंटन किया जावेगा। यदि महाविद्यालय द्वारा ऐसा कोई दावा पारित कराया जाता है तो वह नियम के विरुद्ध होगा एवं उसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य, कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
 11. कार्यालय व्यय मदों में खर्चों को आर्थिक रूप से पूर्ण नियोजित एवं नियंत्रित रखा जावे क्यों कि इस मद का स्वीकृत प्रावधान अत्यन्त सीमित है। बिजली पानी एवं टेलिफोन के अनावश्यक उपयोग को नियंत्रित करावें। व्यय करते समय व्ययों का क्रम अपरिहार्यता के आधार पर यथा - विद्युत, पानी, टेलिफोन, स्टेशनरी, फर्नीचर, मरम्मत आदि निर्धारित किया जावे। फर्नीचर मरम्मत हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जावेगा। इस मद पर व्यय कार्यालय बजट मद में सम्मिलित है।
 12. पुस्तकालय मद में क्रय करते समय पुस्तकों के अद्यतन संस्करण ही क्रय किया जावे। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को दृष्टिगत रखते हुए क्रय की जाने वाली पुस्तकों का निर्धारण किया जावे। पुस्तकों पर नियमानुसार अधिकतम छूट प्राप्त करने के प्रयास किये जावे ताकि उपलब्ध बजट से अधिकतम पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी। इस हेतु मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
 13. प्रयोगशाला मद में आवंटित राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रय प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावे। क्रय को वित्त वर्ष के अन्तिम महीनों के लिए लम्बित नहीं रखा जावे। इन मदों में वर्ष के अन्त में समर्पण या बचत के लिए आप व्यक्तिशः ज़वाबदेय होंगे। अतः समय रहते आवश्यकताओं का निर्धारण कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार पूर्णतः प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय किया जावे।
 14. विभिन्न मदों में आवंटन करते समय आपकी गत वर्ष की मांग एवं पूर्व आवंटनों को ध्यान में रखा गया है फिर भी आवंटित राशि में से आपको किसी राशि की आवश्यकता न हो या किसी कारणवश इस वित्तीय वर्ष में आप द्वारा उसका उपयोग सम्भव प्रतीत न हो तो समर्पण राशि की सूचना दिनांक 15-09-12 तक इस कार्यालय को अनिवार्यतः दे दी जावे। ताकि इस राशि को अन्य महाविद्यालयों को आवंटित किया जा सके।
 15. जिन चिकित्सा मामलों में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम स्वीकृत किया जाता है उसे अतिरिक्त बजट आवंटन नहीं माना जावे एवं स्वीकृत बजट से उसका समायोजन किया जावे।
 16. कोड संख्या 57 में विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय मद में खेलकूद सामग्री एवं सम्बद्धता शुल्क सम्मिलित है जिसमें से खेलकूद सामग्री क्रय हेतु आवंटन किया जायेगा एवं सम्बद्धता शुल्क हेतु आपके मांग पत्र प्राप्त होने पर ही आवंटन किया जा सकेगा।
 17. दिनांक 01-01-04 एवं उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में सरकार की अंशदान राशि का समायोजन जिला स्तर पर किया जायेगा। अतः निदेशालय द्वारा इस मद में कोई बजट आवंटन नहीं किया जायेगा।

संलग्न : बजट आवंटन शीट।

भवदीय


निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

दिनांक 09/04/12

क्रमांक एफ 20 (101)आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2012-13/ 1-140

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुरुष/महिला/जनजाति/विधि
2. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर।
3. कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कालेज शिक्षा राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, अनुदान/छात्रवृत्ति कालेज शिक्षा राज0 जयपुर।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. अकमिलान शाखा, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।



मुख्य लेखाधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Allotment for the Financial year 2012-13

Demand No 24

2202-03-103-(02)Govt. College (for man) -00 (Non plan)

(Rupees in Thousand)

S.No	Name of college/ office	I.D. No	01 Salary	05 OE	Total
1	Ajmer	341	64000.00	195.00	64195.00
2	Alwar (Art)	343	29500.00	42.00	29542.00
3	Alwar (RR)	342	29000.00	86.00	29086.00
4	Amet	344	900.00	10.00	910.00
5	Bandikui	248	6500.00	22.00	6522.00
6	Balotara	247	3500.00	42.00	3542.00
7	Baran	345	5000.00	24.00	5024.00
8	Barmer	346	7500.00	42.00	7542.00
9	Bayana	249	3500.00	17.00	3517.00
10	Beherod	250	5500.00	22.00	5522.00
11	Bhartpur -(MSJ)	348	41900.00	52.00	41952.00
12	Bhawani Mandi	251	6000.00	15.00	6015.00
13	Bheem	332	1200.00	36.00	1236.00
14	Bhilwada(M.L.V.)	4956	26400.00	67.00	26467.00
15	Bhinmal	252	6000.00	20.00	6020.00
16	Bhopalgarh	10105	61300.00	20.00	61320.00
17	Bibirani (Alwar)	351	3000.00	15.00	3015.00
18	Bikaner	349	26400.00	103.00	26503.00
19	Bundi	350	17000.00	40.00	17040.00
20	Beawar	347	20600.00	48.00	20648.00
21	Chimmanpura	253	27500.00	40.00	27540.00
22	Chittorgarh	254	13500.00	35.00	13535.00
23	Churu	255	14500.00	51.00	14551.00
24	Deoli	15927	3000.00	27.00	3027.00
25	Deedwana	257	9000.00	27.00	9027.00
26	Deeg	259	7000.00	19.00	7019.00
27	Dholpur	4937	10900.00	32.00	10932.00
28	Dausa	256	25000.00	54.00	25054.00
29	Gangapurcity	261	8500.00	33.00	8533.00
30	Govindgarh	262	2900.00	16.00	2916.00
31	Hanumangarh	26112	1800.00	10.00	1810.00
32	Hindoncity	263	5500.00	19.00	5519.00
33	Jalore	15508	6500.00	25.00	6525.00
34	Jeslmer	264	8000.00	28.00	8028.00
35	Jhalawad	20148	11000.00	40.00	11040.00
36	Jotaran	334	2700.00	28.00	2728.00
37	Junjunu	329	5100.00	29.00	5129.00
38	Kaladera	265	15000.00	47.00	15047.00
39	karauli	266	12500.00	30.00	12530.00
40	Kekari	270	4300.00	15.00	4315.00
41	Kelawara	335	2000.00	18.00	2018.00

S.No	Name of college/ office	I.D. No	01 Salary	05 OE	Total
42	Khetari	271	9000.00	17.00	9017.00
43	Kishangarh	11597	14500.00	32.00	14532.00
44	kota	267	54500.00	84.00	54584.00
45	Kota -(commerce)	268	11000.00	30.00	11030.00
46	Kotputli	269	19500.00	40.00	19540.00
47	Lalsot	272	3600.00	17.00	3617.00
48	Malpura	273	3500.00	15.00	3515.00
49	Mandaphiya	15520	4000.00	15.00	4015.00
50	Mandlgarh	274	2000.00	15.00	2015.00
51	Medata City	275	7000.00	22.00	7022.00
52	Nagour	276	10000.00	54.00	10054.00
53	Nasirabad	279	3000.00	25.00	3025.00
54	Nathdwara	277	12500.00	35.00	12535.00
55	Nimbahera	280	2800.00	10.00	2810.00
56	Nimkathana	278	7500.00	48.00	7548.00
57	Nohar	13484	4500.00	17.00	4517.00
58	Nokha	281	5200.00	17.00	5217.00
59	Pali	282	15000.00	30.00	15030.00
60	Phalodi	260	2700.00	12.00	2712.00
61	Pokran	12160	2000.00	35.00	2035.00
62	Raj. Sangeet Sansthan jaipur	20147	4000.00	20.00	4020.00
63	Raj. School of arts jaipur	295	5000.00	30.00	5030.00
64	Rajgarh	283	13500.00	36.00	13536.00
65	Rajsamand	284	4000.00	16.00	4016.00
66	Ramganj Mandi	15021	1500.00	16.00	1516.00
67	RamGarh Shekhawati	285	4100.00	17.00	4117.00
68	Ratangarh	3019	3800.00	28.00	3828.00
69	Samberlack	286	19800.00	32.00	19832.00
70	Sardarshahar	292	5100.00	26.00	5126.00
71	Sawai Madhopur	289	2800.00	45.00	2845.00
72	Shahpura (Bhilwara)	290	4800.00	22.00	4822.00
73	Shivganj	293	6600.00	21.00	6621.00
74	Shri Ganganagar	10690	12500.00	34.00	12534.00
75	Sikar	287	34000.00	80.00	34080.00
76	Sirohi	288	11000.00	50.00	11050.00
77	Sojat City	331	3000.00	18.00	3018.00
78	Sujan Garh	291	8000.00	25.00	8025.00
79	Surtgarh	13041	5800.00	21.00	5821.00
80	Taranagar	11180	2700.00	21.00	2721.00
81	Thanagari	330	4300.00	22.00	4322.00
82	Todabheem	336	1200.00	71.00	1271.00
83	Tonk	294	20000.00	54.00	20054.00
84	Uniyara	333	2900.00	34.00	2934.00
Total			935100.00	2850.00	937950.00

(Rupees in words Ninty three Crore Seventy Nine Lac Fifty Thousand)

Allotment for the Financial year 2012-13

Demand No 24

2202-03-103-(03)Govt. college(for woman)-00

(Non plan)

(Rupees in Thousand)

S.No	Name of college/ office	I.D. No	01 Salary	05 OE	Total
1	Ajmer	296	5000.00	10.00	5010.00
2	Alwar	297	21500.00	40.00	21540.00
3	Balotra	17071	3600.00	10.00	3610.00
4	Baran	17303	4200.00	10.00	4210.00
5	Barmer	24208	2500.00	10.00	2510.00
6	Bharatapur	298	18600.00	20.00	18620.00
7	Bhilwara	299	14800.00	25.00	14825.00
8	Bikaner	300	2700.00	65.00	2765.00
9	Bundi	301	2700.00	10.00	2710.00
10	Chittorgarh	302	4400.00	10.00	4410.00
11	Chomu	303	5000.00	10.00	5010.00
12		304	5700.00	10.00	5710.00
13	Jhalawar	305	2600.00	10.00	2610.00
14	Jalour	306	1500.00	15.00	1515.00
15	Jeslmer	5846	2000.00	10.00	2010.00
16	Jhunjhunu	307	4000.00	10.00	4010.00
17	karauli	308	1500.00	10.00	1510.00
18	Kota	309	33400.00	55.00	33455.00
19	Kotputli	3170	4400.00	10.00	4410.00
20	Nagor	15906	1900.00	10.00	1910.00
21	Nathdwara	310	4200.00	10.00	4210.00
22	Neem ka thana	311	3500.00	10.00	3510.00
23	Pali	312	3200.00	15.00	3215.00
24	Pipar City	313	1000.00	10.00	1010.00
25	Ratangarh	16193	1700.00	10.00	1710.00
26	Sadulshahar	337	2200.00	10.00	2210.00
27	Sawai madopur	315	3700.00	10.00	3710.00
28	Shahapur (Jaipur)	316	4700.00	10.00	4710.00
29	Shri Gangangar	314	12000.00	20.00	12020.00
30	Sirohi	317	800.00	10.00	810.00
31	Tonk	318	3900.00	10.00	3910.00
32	Udaipur	319	27100.00	40.00	27140.00
Total			210000.00	525.00	210525.00

(Rupees in words Twenty One Crore Five Lac Twenty Five Thousand)

Allotment for the Financial year 2012-13

Demand No 30

2202-03-796-(01)Govt. College (for man)-00 (Non plan)

(Rupees in Thousand)

S.No	Name of college/ office	I.D. No	01 Salary	05 OE	Total
1	Abu Rod	320	4900.00	23.00	4923.00
2	Banswara	13431	3500.00	65.00	3565.00
3	Banswara (Girls)	323	3600.00	35.00	3635.00
4	Dungarpur	15384	13300.00	35.00	13335.00
5	Dungarpur (Girls)	5895	3700.00	25.00	3725.00
6	Kherbara	338	3400.00	12.00	3412.00
7	Kotda	10295	1200.00	15.00	1215.00
8	Kushalgarh - 321	321	2300.00	35.00	2335.00
9	Pratapgarh	322	6500.00	20.00	6520.00
10	Sagwara -2251	2251	2000.00	15.00	2015.00
11	Salumber	20277	3400.00	20.00	3420.00
Total			47800.00	300.00	48100.00

(Rupees in words Four Crore Eighty One Lac)

Allotment for the Financial year 2012-13

Demand No 24

2202-03-001-(01)Directorate-00 (Non plan)

(Rupees in Thousand)

S.No	Name of college/ office	I.D. No	01 Salary	05 OE	Total
1	Ast.Dir. Ajmer	24209	400.00	5.00	405.00
2	Ast.Dir. Bikaner	7286	0.00	1.00	1.00
3	Ast.Dir. Kota	15422	300.00	1.00	301.00
4	Ast.Dir. Udaipur	3602	400.00	7.00	407.00
5	Ast.Dir. Jodhpur	6937	500.00	16.00	516.00
6	Dy. Dir. Jaipur	11503	15700.00	650.00	16350.00
Total			17300.00	680.00	17980.00

(Rupees in words One Crore Seventy nine Lac Eithey Thousand)



प्रपत्र

वेतन ऐरियर की सूचना

नाम महाविद्यालय

मद

(आयोजना भिन्न)

(राशि हजारो में)

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	वित्त वर्ष 2012-13 में भरे हुए पदों के लिए कुल वेतन राशि	वित्त वर्ष 2012-13 के लिए RVRES के व्याख्याताओं सहित कुल ऐरियर राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	योग				

प्राचार्य